(148)

(1120)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक:सी/3-5/2005/3/एक भोपाल, दिनांक 16-5-05

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय:-संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत् ।

======

शासन के ध्यान में आया है कि नियमित स्थापना में तृतीय श्रेणी के पद रिक्त न होने से बहुतायत में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है ।

2/ इस संबंध में आदेशानुसार निवेदन है कि तृतीय श्रेणी के अर्ह आवेदकों को जो संविदा शाला शिक्षक के पद की योग्यता रखते हों, उन्हें प्रथमतः संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाए जिससे लंबित प्रकरणों में कमी आ सके और मृतक परिवार के आश्रित को समय पर सहायता मिल सके । आवेदकों द्वारा इस बाबत् सहमति दिये जाने पर उनके आवेदन-पत्र स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिये विचारार्थ भेजे जाएं । इस बाबत दिये गये प्रस्ताव (offer) की एकजाई जानकारी सा.प्र.वि. को भी भेजी जाए ।

3/ कृपया उपर्युक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(सुभाष डाफणे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन